



फर्द अहकाम

अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर
आर0 के सहरावत बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति, डीग
किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 16 सन् 21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09.02.2021	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट आ0के0 सेहरावत निवासी ए-1/79, एफ.एफ.इनेल नव सराय, नई दिल्ली-68 की अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति डीग के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अपील आवेदन का अवलोकन किया गया। अपील में वर्णित तथ्यों के अनुसार अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी भरतपुर से कुल 04 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 07 दिनांक 05.10.2020 से बिन्दु सं0 3 की सूचना के सम्बन्ध में अपीलान्ट को सूचित करते हुए बिन्दु संख्या 1,2 एवं 04 की बावत अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र पत्रांक 06 दिनांक 05.10.2020 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति डीग को अन्तरित करते हुए आवेदक को भी सूचित किया गया है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 1,2 व 4 की सूचना के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति, डीग के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति, डीग के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लौटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील प्रधान, पंचायत समिति डीग के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर भरतपुर (गज0)</p> 	141 10/2/21